उत्तरांचल सरकार
सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग
(क्षेत्र प्रचार प्रभाग)
संख्याः 1376/सू0एवंलो0स0वि0(क्षे0प्र0)–50/2004
देहरादूनः दिनांकः 31 जुलाई 2006

कार्यालय–आदेश

कार्यालय आदेश संख्या–466/सू.एवं.लो.सं.वि.(क्षे.प्र.)–50/2004, दिनांक 16 दिसम्बर, 2004 द्वारा जिला सूचना कार्यालयों में कार्यरत लेखालिपिकों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची परिचालित करते हुए प्रमाण सहित आपित्तयां आमंत्रित की गई थी। इसक्रम में निम्न लेखालिपिकों ने आपत्तियां प्रस्तुत करते हुए ज्येष्ठता सूची में संशोधन करने का अनुरोध किया है :–

1. श्री शंकर दत्त पांण्डेय
2. श्री कोतवाल सिंह बिष्ट
3. श्री मथुरा प्रसाद बडोला

1. श्री शंकर दत्त पाण्डेय ने विभागीय आदेश संख्या–4316/सू.एवंलो.सं.वि.(क्षे.प्र.)–88/89, दिनांकः 13 जून, 1989 के माध्यम से निर्धारित की गयी लेखालिपिकों की ज्येष्ठता सूची का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया है कि उनकी ज्येष्ठता श्री चन्द्रशेखर नैनवाल से ऊपर निर्धारित की जाय।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि कार्यालय आदेश संख्या–4316/सू.एवंलो.सं.वि.(क्षे.प्र.)–88/89, दिनांकः 13 जून, 1989 के अनुसार श्री शंकर दत्त पाण्डेय, श्री चन्द्र शेखर नैनवाल से ज्येष्ठ हैं। अतः ज्येष्ठता सूची में श्री शंकर दत्त पाण्डेय को श्री चन्द्र शेखर नैनवाल से ऊपर दर्शाने में कोई कठिनाई नहीं है।

1. श्री कोतवाल सिंह बिष्ट ने श्री राकेश कुमार धीवान की ज्येष्ठता पर आपत्ति करते हुए अवगत कराया है कि उनकी नियुक्ति दिनांकः 9 मई, 1975 को रेडियो निरीक्षक तथा श्री धीवान की नियुक्ति दिनांकः 28 अगस्त, 1989 को रेडियो लिपिक के पद पर हुई थी। बाद में विभागीय पुनर्गठन के समय उन्हें व श्री धीवान को अन्य कर्मचारियों के साथ समान वेतनमान के कनिष्ठ लेखालिपिक के पद पर समायोजित किया गया। जिलाधिकारी बहराईच, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांकः 11 मई, 1996 को श्री धीवान की पदोन्नति लेखालिपिक के पद पर की गई, जबकि लेखा लिपिक के पद के नियुक्ति अधिकारी निदेशक सूचना थे। इस प्रकार श्री धीवान की पदोन्नति नियमानुसार सही नहीं है। अतः मुझे ज्येष्ठता क्रम में श्री धीवान से ऊपर रखा जाय।

श्री कोतवाल सिंह बिष्ट की आपत्ति को स्वीकार करते हुए उनकी व श्री राकेश कुमार धीवान की ज्येष्ठता का निर्धारण उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के भाग–2 के नियम–6 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। इस कार्यालय के आदेश संख्या–875/सू0एवंलो0सं0वि0(क्षे0प्र0)–11/94, दिनांकः 16–06–2006 द्वारा निर्धारित ज्येष्ठता सूची के अनुसार भी श्री कोतवाल सिंह विष्ट, श्री राकेश कुमार धीवान से ज्येष्ठ हैं।

3. श्री मथुरा प्रसाद बडोला ने श्री राजन वर्मा की ज्येष्ठता पर आपत्ति करते हुए क्रमांक–9 पर स्वयं की ज्येष्ठता निर्धारित करने का अनुरोध किया है।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि श्री मथुरा प्रसाद बडोला की नियुक्ति रेडियो निरीक्षक के पद पर दिनांकः 30 जून, 1979 को श्री राजन वर्मा से पहले हुई है। चूंकि श्री बडोला का नाम तत्समय पर्वतीय संवर्ग में सम्मिलित नही हो पाने के कारण पूर्व में श्री बडोला की कनिष्ठ लेखालिपिक के पद पर ज्येष्ठता का निर्धारण नही हो पाया था। वर्तमान में जनपद हरिद्वार में

कार्यरत कर्मचारियों को उत्तरांचल के लिए आबंटन किये जाने के फलस्वरूप श्री बडोला की आपत्ति को स्वीकार करते हुए उनकी ज्येष्ठता श्री राजन वर्मा से ऊपर निर्धारित की जाती है।

अतः उपरोक्तानुसार प्राप्त प्रत्यावेदनों में अंकित आपत्तियों का निस्तारण करते हुए विभाग में कार्यरत 13 लेखा लिपिकों की ज्येष्ठता को निम्नानुसार अन्तिम रूप दिया जाता है :–

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	लेखा लिपिक के पद पर नियुक्ति की तिथि
1.	श्री सुरेन्द्र सिंह रावत	13.11.79
2.	श्री गोपाल दत्त बिजलवाण	10.07.86
3.	श्री शंकर दत्त पाण्डेय	1.08.88
4.	श्री चन्द्रशेखर नैनवाल	31.08.88
5.	श्री रमेश लाल आर्य	7.09.88
6.	श्री कोतवाल सिंह बिष्ट	25.09.01
7.	श्री राजेन्द्र लाल शाह	25.09.01
8.	श्री मथुरा प्रसाद बड़ोला	25.09.01
9.	श्री राजन वर्मा	25.09.01
10	श्री संदीप कुमार रस्तोगी	25.09.01
11	श्री प्रदीप कुमार कोठारी	25.09.01
12.	श्री मदन मोहन लाल आर्य	25.09.01
13.	श्री राकेश कुमार धीवान	11.05.96

(भास्करानन्द)
अधिशासी निदेशक।

संख्याः /सू0एवंलो0स0वि0(क्षे0प्र0)50/2004, तद्‌दिनांकित ।
प्रतिलिपि निम्नांकित् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
1. समस्त जिला सूचना अधिकारी, उत्तरांचल।
2. संबंधित कर्मचारियों को।

(वीर सिंह रावत)
संयुक्त निदेशक।